

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

कोविड-19 अति आवश्यक

क्रमांक कोरोना/2020/681

दिनांक: 16-6-2020

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन- कोटा।

विषय:- कोटा जिले में कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों के क्रम में।
सन्दर्भ :-माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधान सभा का पत्र क्र. 70 दिनांक 28.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नेता प्रतिपक्ष महोदय ने माननीय मुख्य सचिव महोदय को सम्बोधित पत्र द्वारा कोटा प्रशासन द्वारा की गयी अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कर उचित कार्यवाही करने हेतु अनुशाषा की है।

अतः मूल पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर आप द्वारा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकारता को अवगत कराने का श्रम करे, ताकि वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:

क्रमांक कोरोना/2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके डायरी क्र. 3166 दिनांक 04.05.2020 के क्रम में।
2. मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बधित अधिकारियों को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

गुलाबचन्द कटारिया
नेता प्रतिपक्ष



राजस्थान विधान सभा
टेलीफोन नं. : 0141-25

29/4

1508

29/4/20

पत्रांक: मानेप्र/राविस/2020/70

जयपुर, दिनांक : 28 अप्रैल, 2020

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

29/4/2020 595705

30/4/20

Dir(M)

30.4.2020

150 (1058)
5/5/20

29/4/20
6/5/20

Jamundar
for Kota Camp
30/4
150/6/20

मैं आपका ध्यान कोटा प्रशासन द्वारा की गयी अनियमितता की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रशासन द्वारा छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाता है जिसके कारण यह बड़ा रूप धारण कर रही है।

1. मोबिलिटी एरिया से सर्वे हेतु जो आशा सहयोगिनियों को लगाया गया था, वह कोरोना पॉजीटिव थीं।
2. जिला प्रशासन ने मृतक के शव को बिना टेस्ट कराए परिजनों को सुपुर्द कर दिया, बाद में वह मृतक पॉजीटिव पाया गया, जिसके कारण एम.बी.एस. हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं स्टाफ को क्वेरंटाईन करना पड़ा।
3. रामपुरा, कोटा का रहने वाला श्री सतीश अग्रवाल अस्थमा का रोगी था, जिसको अस्पताल ले जाने हेतु उसके पुत्र ने 108 एंबुलेंस, जिला प्रशासन एवं चिकित्सा प्रशासन को फोन किया, किंतु काफी समय व्यतीत होने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आने पर वह ठेले पर रखकर अपने पिता को अस्पताल लेकर गया। बाद में श्री सतीश अग्रवाल जी की मृत्यु हो गयी जो कि कोटा प्रशासन की लापरवाही का धोतक है।
4. कोटा में लॉकडाउन एवं कर्फ्यू की पालना नहीं हो रही है तथा खाद्यान्न सामग्री वितरण आदि में भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है।

अतः इस संबंध में उचित कार्यवाही कर अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

30/4/20

(गुलाबचन्द कटारिया)